अनुदान संख्या 64 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 64 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6540,04,00	6540,10,00	6505,88,78	-34,21,22
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,78,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	12,57,00	21,07,00	7,23,04	-13,83,96
पूरक	Supplementary	8,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,39,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	67005.00			
पू.	S.	3.00	255.37	..	-255.37
पु.	R.	- 66752.63			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"					
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries					
मू.	O.	584966.00				
पू.	S.	3.00		649843.63	648676.10	-1167.53
पु.	R.	64874.63				

(I) ₹67577.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹67477.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹67577.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019) remained wholly unutilised under thirteen heads; of these ₹67477.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "ग्राम और लघु उद्योग–खादी और ग्राम उद्योग" –

(i) "खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹8491.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹2400.00 लाख;

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग–नारियल रेशा उद्योग–खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹2300.00 लाख;

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग–अन्य ग्राम उद्योग–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायक स्कीमें" – ₹25500.00 लाख;

(A) Major Head "2552"-

(a) "Village and Small Industries - Khadi and Village Industries"-

(i) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹8491.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Technology Upgradation and Quality Certification" - ₹2400.00 lakhs ;

(b) "Village and Small Industries - Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹2300.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries- Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and other Credit Support Schemes"- ₹25500.00 lakhs;

(घ) "ग्राम और लघु उद्योग–लघु उद्योग" –

(i) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹8900.00 लाख;

(ii) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹8526.00 लाख; (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹590.00 लाख;

(iv) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹8201.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(v) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹1043.00 लाख; और

(ङ.) "ग्राम और लघु उद्योग – अन्य व्यय – उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹957.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्योत्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2851" – "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹569.00 लाख – स्कीम का अनुमोदन विलंब से होने और व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, स्कीम मांग पर आधारित होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई।

(d) "Village and Small Industries - Small Scale Industries"-

(i) "Technology Upgradation and Quality Certification" - ₹8900.00 lakhs;

(ii) "Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹8526.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(iii) "Marketing Promotion Scheme" - ₹590.00 lakhs;

(iv) "Infrastructure Development Programme" - ₹8201.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) ;

(v) "Research and Evaluation Studies" - ₹1043.00 lakhs; and

(e) "Village and Small Industries - Other Expenditure - Entrepreneurship and Skill Development" - ₹957.00 lakhs

Provisions under the above ten heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2851"- "Tribal Area Sub-Plan - Marketing Promotion Scheme" - ₹569.00 lakhs - due to late approval of scheme and non-receipt of viable proposals, scheme being demand driven.

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(का) "लघु उद्योग" –

(क) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹1002.69 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन एवं प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹3617.99 लाख की बचत (₹4472.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति एवं विपणन समर्थन स्कीम को विलंब से अनुमोदन मिलने तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, स्कीम के मांग पर आधारित होने के कारण हुई।

(ग) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹2146.80 लाख की बचत (₹17750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के दिशा–निर्देश का अनुमोदन विलंब से होने और व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घ) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹23239.90 लाख की बचत (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹63001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, स्कीम के मांग पर आधारित होने और मास्टर प्लान तथा दो प्रौद्योगिकी केन्द्रों के मात्रा बिल को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जनजाति विशेष संघटक योजना" –

(क) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹951.52 लाख की बचत (₹960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम/उद्यमिता विकास कार्यक्रम स्कीम के लिए दिशानिर्देश का अनुमोदन विलंब से मिलने के कारण हुई।

(A) "Small Scale Industries"-

(a) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹1002.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity.

(b) "Marketing Promotion Scheme" - saving of ₹3617.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4472.00 lakhs) was due to late approval of procurement and Marketing Support Scheme and non-receipt of viable proposals, scheme being demand driven.

(c) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹2146.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17750.00 lakhs) was due to late approval of guidelines of scheme and non-receipt of viable proposals.

(d) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹23239.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹63001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2018) was due to delay in finalisation of contract, non-receipt of viable proposals, scheme being demand driven and delay in finalisation of master plan and bill of quantities of two technology centres.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹951.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹960.00 lakhs) was due to late approval of scheme guidelines for Entrepreneurship Skill Development Programme/Entrepreneurship Development Programme.

(ख) "खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹5527.76 लाख की बचत (₹15230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹5527.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15230.00 lakhs);

(ग) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹9702.00 लाख की बचत (₹12002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(c) "Technology Upgradation and Quality Certification" -saving of ₹9702.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12002.00 lakhs);

(घ) "विपणन संवर्द्धन स्कीम" – ₹1086.80 लाख की बचत (₹1089.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(d) "Marketing Promotion Scheme" - saving of ₹1086.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1089.00 lakhs);

(ङ) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹6056.00 लाख की बचत (₹16500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(e) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹6056.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16500.00 lakhs);

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(C) "Tribal Area Sub-Plan"-

(क) "खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹2578.42 लाख की बचत (₹8468.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(a) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹2578.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8468.00 lakhs);

(ख) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹5763.00 लाख की बचत (₹7163.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹5763.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7163.00 lakhs);

(ग) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹900.00 लाख की बचत (₹7300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(c) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7300.00 lakhs);

(घ) "अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन" – ₹1589.62 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(d) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹1589.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs);

(घा) "अन्य व्यय" –

(D) "Other Expenditure" -

(क) "विपणन संवर्द्धन स्कीम" – ₹919.35 लाख की बचत (₹1730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) "Marketing Promotion Scheme" - saving of ₹919.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1730.00 lakhs); and

(ख) "उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम" – ₹10616.61 लाख की बचत (₹12854.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत स्कीम को अनुमोदन विलंब से मिलने और व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, स्कीम के मांग पर आधारित होने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹476.98 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹139541.83 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत प्राप्त किए गए ₹5.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "निदेशन और प्रशासन – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त" – ₹582.40 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹513.63 लाख था।

(खा) "लघु उद्योग" –

(क) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹24480.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹24474.23 लाख था।

(ख) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹1285.00 लाख।

(गा) "खादी एवं ग्रामोद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹14221.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹14210.80 लाख था।

(घा) "नारियल रेशा उद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹2124.17 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2121.91 लाख था।

(b) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹10616.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12854.00 lakhs).

Savings under the above ten heads were due to late approval of scheme and non-receipt of viable proposals, scheme being demand driven.

(III) Under one head saving of ₹476.98 lakhs occurred constituting 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹139541.83 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Development Commissioner of Micro, Small and Medium Enterprises" - ₹582.40 lakhs. Actual excess, however, was ₹513.63 lakhs.

(B) "Small Scale Industries" -

(a) "Technology Upgradation and Quality Certification" - ₹24480.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹24474.23 lakhs.

(b) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)" - ₹1285.00 lakhs.

(C) "Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹14221.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14210.80 lakhs.

(D) "Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹2124.17 lakhs. Actual excess, however, was ₹2121.91 lakhs.

(ङ) "अन्य ग्रामोद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹23470.00 लाख।

(चा) "अनुसूचित जनजाति विशेष संघटक योजना" –

(क) "खादी सुधार विकास पैकेज – एडीबी सहायता" – ₹700.00 लाख।

(ख) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹35195.48 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹35194.06 लाख था।

(छा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "खादी सुधार विकास पैकेज – एडीबी सहायता" – ₹360.00 लाख।

(ख) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹36080.28 लाख।

(जा) "अन्य व्यय" –

(क) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹294.05 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹293.02 लाख था।

(ख) "अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन" – ₹749.45 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹739.45 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2851"– "खादी एवं ग्रामोद्योग – प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं गुणवत्ता प्रमाणन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹1133.97 लाख का अधिक व्यय (₹17100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का

(E) "Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹23470.00 lakhs.

(F) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Khadi Reform Development Package - ADB Assistance"- ₹700.00 lakhs.

(b) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes"- ₹35195.48 lakhs. Actual excess, however, was ₹35194.06 lakhs.

(G) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Khadi Reform Development Package - ADB Assistance" - ₹360.00 lakhs.

(b) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹36080.28 lakhs.

(H) "Other Expenditure""-

(a) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹294.05 lakhs. Actual excess, however, was ₹293.02 lakhs.

(b) "Research and Evaluation Studies" - ₹749.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹739.45 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" - "Khadi and Village Industries - Technology Upgradation and Quality Certification" - excess of ₹1133.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17100.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to

पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1383.96 लाख) जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹850.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और जो, कुल स्वीकृत प्रावधान का 66 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1383.96 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹850.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018 and constituted 66 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1200.00			
पू.	S	849.00	1210.00	666.04	-543.96
पु.	R.	-839.00			

(I) ₹1.00 लाख का पूरक प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) "कार्यालय भवन – अन्य व्यय – कार्यालय आवास का निर्माण – ग्राम और लघु उद्योग" – ₹1200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹849.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2049.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1382.96 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और मोटरवाहनों की खरीद के लिए प्रस्तावों को साकार रूप न देने के कारण हुई।

(II) Under "Office Buildings - Other Expenditure - Construction of Office Accommodation - Village and Small Industries" - the original provision of ₹1200.00 lakhs was augmented to ₹2049.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹849.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1382.96 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of viable proposals and non-materialisation of proposal for purchase of motor vehicle.